एम0 देवराज
आई0ए0एस0

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0) फैक्स – (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 13 /मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0/2019–20(पी0टी0डब्लू0) दिनांकः जनवरी,31,2020

विषय– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–5 दर श्रेणी के निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं के लिये "किसान आसान किश्त योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय/महोदया,

समस्त विद्युत वितरण निगमों के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से दिनांक 01.02.2020 से 29.02.2020 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–5 दर श्रेणी के निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं के लिये **"किसान आसान किश्त योजना"** लागू की गयी है।

उपरोक्त योजना का सम्पूर्ण विवरण संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः /मु0अ0(वाणिज्य)सीयू–दो/ओ0टी0एस0/2019–20 (पी0टी0डब्लू0)तद् दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

"किसान आसान किश्त योजना का पूर्ण विवरण"

विषय– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–5 दर श्रेणी के निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं के लिये "किसान आसान किश्त योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

विद्युत वितरण निगमों के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–5 दर श्रेणी के बकायेदारों को उनके दिनांक 31.01.2020 तक के विद्युत बिलों में मूल धनराशि का किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु यह योजना लागू की जा रही है।

बकायेदार उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 31.01.2020 तक के विद्युत बिलों में मूल धनराशि को शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम 6 किश्तों (प्रत्येक किश्त धनराशि रु0 1500 से कम की नहीं निर्धारित की जा सकेगी) में भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी। उपभोक्ता द्वारा मूल धनराशि का किश्तों में भुगतान के साथ सभी मासिक बिलों को जमा करने के पश्चात उसके 31.01.2020 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि समाप्त कर दी जायेगी।

1. किसान आसान किश्त योजना में पंजीकरण की अवधि की अवधि :–

(i) उपभोक्ता जिन्हें बिल संशोधन की आवश्यकता नहीं है:–

यह योजना दिनांक 01.02.2020 से 29.02.2020 तक लागू रहेगी।

(ii) उपभोक्ता जिन्हें बिल संशोधन की आवश्यकता है:–

यह योजना दिनांक 01.02.2020 से लागू होगी। जो बकायेदार उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों में संशोधन किये जाने का विकल्प देंगे उन्हें संशोधित बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर अपना पंजीकरण कराना होगा।

2. पंजीकरण कार्यालय :–

योजना का पंजीकरण अधि0अभि0/एस0डी0ओ0 कार्यालय एवं सी0एस0सी0 जनसुविधा केन्द्रों पर होगा।

3. योजना में पंजीकरण की प्रकिया :–

इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण, भुगतान एवं बिल संशोधन विकल्प चुनने की व्यवस्था केवल ऑनलाइन प्रणाली पर ही उपलब्ध एवं मान्य होगी। उपभोक्ता को यह सुविधा सभी खण्ड/उपखण्ड कार्यालय एवं सी0एस0सी0 जनसुविधा केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। उपभोक्ता को केवल अपना खाता सं0 बताना होगा जिसको ऑनलाइन प्रणाली के भुगतान पोर्टल पर डालते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा:– बिल धनराशि, सरचार्ज, भुगतान की स्थिति इत्यादि स्क्रीन पर परिलक्षित होगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नम्बर एवं बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जायेगा। पंजीकरण के समय दिनांक 31.01.2020 तक बिल में दर्शायी जा रही बकाया मूल धनराशि (सरचार्ज रहित) का 5 प्रतिशत अथवा न्यूनतम रू0 1500 के साथ, वर्तमान बिल को जमा करना होगा। इसके उपरान्त आगामी माहों का बिल किश्तों के साथ निर्गत किये जायेंगे। पंजीकरण के पूर्व यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का विकल्प दर्ज होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अंदर उपभोक्ता को एस0एम0एस0 के माध्यम से संशोधित बिल एवं किश्त की सूचना प्रेषित करेगा। उपभोक्ता स्वयं भी अधिशासी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/सी0एस0सी0 से अपने संशोधित बीजक प्राप्त कर सकता है। किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।

4. **योजना में किश्तों का विवरण** :–

बकाया धनराशि (सरचार्ज रहित) को शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम 6 किश्तों में बॉटने के पश्चात् उपभोक्ता को प्रत्येक माह निर्धारित मासिक किश्त के साथ उस माह के बिल को जमा करना होगा। प्रत्येक किश्त धनराशि रु0 1500 से कम की नहीं निर्धारित की जा सकेगी।

5. **अनुमन्य छूट देने की प्रकिया** :–

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–5 दर श्रेणी विधा के पंजीकृत उपभोक्ताओं के माह जनवरी–2020 तक के विद्युत बीजकों में विलम्बित भुगतान सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि फ्रीज कर दी जायेगी। उपभोक्ता को नियमित रूप से प्रतिमाह वर्तमान बिल तथा किश्त जमा करना होगा। उपभोक्ता अपना बिल एक मुश्त भी जमा कर विलम्ब भुगतान अधिभार छूट का लाभ ले सकेगा।

यदि किन्हीं कारण से उपभोक्ता एक माह में जमा नही कर पाता है तो उसे अगले माह में विगत एवं वर्तमान माह के बिल के साथ दो किश्तों की धनराशि अवश्य ही जमा करना होगा। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.01.2020 तक के मूल बकाये के विरूद्ध की गयी समस्त किश्तों एवं मासिक बिलों का भुगतान किये जाने के पश्चात् उपभोक्ता का दिनांक 31.01.2020 तक के बकाये पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जायेगा। अन्यथा उसके अधिभार को जोड़कर बिल जारी कर दिया जायेगा। यदि उपभोक्ता दो महीने तक किश्त जमा न कर पाने के कारण डिफाल्ट कर जाता है फिर भी किश्त अवधि (6 माह) में 31.01.2020 के मूल बकाये का पूर्ण भुगतान तथा इसके पश्चात् के माह के सभी मासिक बिल सरचार्ज सहित का भी पूर्ण भुगतान कर देता है तो उसे दिनांक 31.01.2020 तक के सरचार्ज में छूट प्रदान कर दी जायेगी।

6. **बिल संशोधन की प्रकिया** :–

कुछ उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु उपखण्ड अधिकारी से निम्न स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा। अतः जिन बकायेदारों के बिल संशोधित होने हैं उनको पंजीकरण के पश्चात शुद्ध बिल जारी करना उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा।

7. ऐसे उपभोक्ता, जिनको विद्युत बिल बकाया की वसूली हेतु धारा 5 का नोटिस पूर्व में निर्गत हो चुका है, वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
8. इस योजना के अर्न्तगत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे। वितरण निगम द्वारा निर्गत संशोधित बीजक की देय धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त ही सम्बन्धित बीजक में अंकित ब्याज की राशि मॉफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी।
9. इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमिता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। उ0प्र0 शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी।
10. योजना में स्थायी रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया जायेगा।
11. रू0 3000 से कम बकाये वाले उपभोक्ता अपना पूरा पैसा एक बार में जमा कराकर छूट का लाभ उठा सकेंगे।
12. उपरोक्त योजना में माफ की गयी विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा अपनी RoE (Return on Equity) की धनराशि से किया जायेगा।

13. उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त आवेदनों के बिल रिवीजन की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण)/डिस्काम मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

14. उपभोक्ताओं के पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

15. योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान बिल के साथ किश्तों के भुगतान की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से सम्बन्धित डिस्काम मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक